महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail: academicmgsu@gmail.com

क्रमांक : एफ.07()/मगंसिंविबी/शैक्ष./2020/ दिनांक :

अति–आवश्यक

श्रीमान् प्राचार्यगण,
समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, (द्विवर्षीय बी.एड़/बी.पी.एड़ पाठ्यक्रम)
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

विषय :– सत्र 2020–21 की द्विवर्षीय बी.एड़/बी.पी.एड़ पाठ्यक्रम की पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2020–21 हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नोड़ल एजेन्सी द्वारा शीघ्र ही परीक्षा आयोजन पश्चात विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के नाम के साथ आवंटित छात्रों की कुल संख्या की जानकारी ली जानी है। अतः समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है की वे सम्बद्धता शर्तो की पूर्ण निम्न पालना रिपोर्ट अविलम्ब विश्वविद्यालय को प्रेषित करे ताकि बकाया संबंद्धता अभिवृद्धि जारी की जा सके, उपरोक्त पालना के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा नोडल एजेन्सी को महाविद्यालय का नाम छात्र आवंटन हेतु नही भिजवाया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

1. महाविद्यालय सत्र 2020–21 हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा बी.एड./बी.पी.एड. (2 वर्षीय पाठ्यक्रम) के संचालन हेतु मान्यता पत्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र की प्रति प्रेषित करे।
2. विश्वविद्यालय द्वारा आगामी दिनों में महाविद्यालय में कार्यरत स्टाफ के मूल दस्तावेजों का विश्वविद्यालय स्तर पर मिलान किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी सूचना जिलेवार एवं महाविद्यालयवार उपलब्ध करवा दी जाएगी। अतः महाविद्यालय उक्त पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता अनुसार नियुक्त स्टाफ (प्राचार्य/व्याख्याता) की सूची विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रर्फोमा (संलग्न) अनुसार मेल एड्रेस **mgsubedstaff2020@gmail.com** पर एक्सल फार्मेट में सॉफ्ट कॉपी एवं डाक द्वारा हार्ड कॉपी में भी प्रेषित करावें।
3. एनसीटीई नियमानुसार भूमि–भवन, एण्डोमेण्ट फण्ड, पुस्तकालय/प्रयोगशाला एवं अन्य निर्धारित आधारभूत सुविधाओं की अद्यतन सूचना मय दस्तावेज भिजवाये।
4. नियमानुसार वेबसाईट निर्माण की सूचना भी भिजवायें। वेबसाईट निर्माण के अभाव में महाविद्यालय का नाम छात्र आवंटन हेतु नहीं भिजवाया जावेगा।
5. जिन महाविद्यालयों के शास्ति प्रकरण बकाया है एवं ऐसे महाविद्यालयों द्वारा शास्ति प्रकरणों के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज मय पालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किये गये है, वे अविलम्ब शास्ति प्रकरण के संबंध में पूर्ण पालना रिपोर्ट मय दस्तावेज भिजवायें, शास्ति प्रकरण के निस्तारण के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जावेगी।
5. इस आशय का (राशि 100/– का नॉन ज्यूडिशियल) शपथ पत्र प्रेषित करावें जिसमें इस बात का उल्लेख हो की एक ही भूमि एवं भवन के आधार पर एक से अधिक महाविद्यालयों की मान्यता/सम्बद्धता/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, साथ ही महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार/एनसीटीई/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमो की पूर्ण पालना की जा रही है, पालना के अभाव में समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी, पत्र को प्राथमिकता देते हुए अविलम्ब पालना भिजवायें।

-Sd-
उप कुलसचिव (शैक्ष.)

क्रमांक : एफ.07()/मगंसिंविबी/शैक्ष./2020/ 5373-75 दिनांक : 9-7-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–कुलपति, महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. वेबसाईट प्रभारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. रक्षित पत्रावली।

अनुभाग अधिकारी (शैक्ष.)